दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सिविल वाद (मूल पक्ष) 72/2013

आदेश तिथि 17.02.2014

पर्फ़ेटी वैन मेल्स.पी.ए. एवं अन्य ..... वादीगण

द्वारा: श्री सुशांत सिंह और श्री पी.सी. आर्य, अधिवक्तागण

बनाम

अनिल बजाज एवं अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: कोई नहीं।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी

<u>न्या. जी.एस.सिस्तानी (*मौखिक*)</u>

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध व्यापार पोशाक अधिकारों, कॉपीराइट, डिलीवरी के उल्लंघन और पासिंग ऑफ पर रोक लगाने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वर्तमान वाद दायर किया है। दिनांक 14.1.2005 को वाद में समन जारी करते समय वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा दी गई थी, जिसमें प्रतिवादीगण को वादीगण के व्यापार पोशाक, गेट-अप तथा डिजाइन के साथ पैकेजिंग/रैपिंग में अपने उत्पादों का विपणन तथा बिक्री करने से रोक दिया गया था। चूंकि सेवा के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 4 पर दिनांक 28.1.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 4.9.2013 को प्रतिवादी सं. 5 को पक्षकारों की सरणी से हटा दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि वादपत्र वादीगण के अधिकृत प्रतिनिधि के शपथपत्र द्वारा विधिवत समर्थित है, वादीगण को

मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देना आवश्यक नहीं है तथा वादपत्र को शपथपत्र के रूप में माना जाएगा। वादीगण द्वारा दायर किए गए दस्तावेज विधिवत प्रदर्शित हैं।

2. वादपत्र के अनुसार, श्री सुधीर डी. आहूजा भारत में वादी सं. 1 के नियुक्त अटॉर्नी हैं। श्री आहूजा के पक्ष में नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति प्र.अभि.-4 के रूप में प्रदर्शित की गई है। वादी सं. 1 एक प्रसिद्ध कंपनी बताई गई है जो विभिन्न विश्व प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के तहत कैंडीज, टॉफी, मिंट, ब्रेथ फ्रेशनर, च्यूइंग गम, बबल गम, लॉलीपॉप आदि सहित कन्फेक्शनरी वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और वितरण में लगी हुई है। वादी सं. 1 के उत्पाद भारत सहित दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध ट्रेडमार्क जैसे एल्पेनलीबे, एल्पेनलीबे लॉलीपॉप, बिग बाबोल, सेंटर फ्रेश, क्लोर-मिंट, चॉकलेटीबे, चूपा चूप्स, कॉफिटोस, फ्रूटेला, हैप्पीडेंट व्हाइट, मार्बल्स, मेंटोस, आदि के तहत उपलब्ध हैं। वादी सं. 2 ने 2011 में भारत में पहली बार अपने "स्टॉप नॉट" स्नैक्स रेंज के लॉन्च के साथ एक अभिनव भरे हुए और बिना तले हुए रेडी-टू-ईट नमकीन स्नैक्स उत्पाद के साथ स्नैक्स सेगमेंट में प्रवेश किया। ये सभी उत्पाद इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह उपलब्ध हैं।

3. वादपत्र में यह भी कहा गया है कि वादी सं. 1 ने अपना व्यावसायिक परिचालन 1946 में शुरू किया था जब इसके संस्थापक, भाइयों एंब्रोजियो परफ़ेटी और एगिडियो परफ़ेटी ने इटली में मिलान के पास लैनाटे में परफ़ेटी डोल्सिफ़ियो लोम्बार्डो खोला। इसके बाद इसका कॉर्पोरेट नाम बदलकर परफ़ेटी एस.पी.ए. कर दिया गया। मार्च 2001 में, वादी सं. 1 ने परफ़ेटी वैन मेले ग्रुप बनाने के लिए वैन मेले बी.वी. (1841 में इज़ाक वैन मेले द्वारा स्थापित), एक कन्फेक्शनरी निर्माण कंपनी का अधिग्रहण

किया। वादी सं. 1 की इटली, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की, वियतनाम, हॉलैंड, अमेरिका, मैक्सिको, रूसी संघ, श्रीलंका, स्पेन और भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयां हैं। वादी सं. 1 के दुनिया भर में कई बिक्री और वितरण कार्यालय हैं।

4. वादपत्र में यह भी दलील दी गई है कि भारत में वादी सं. 1 अपनी सहायक कंपनी परफेटी वैन मेले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से काम करता है, जो इस मामले में वादी सं. 2 है। वादी सं. 2 एक कंपनी है जिसे दिनांक 26 जून, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। वादी सं. 2 के मुख्य कार्यालय गुड़गांव और दिल्ली में हैं, और यह पूरे भारत में काम करता है, और भारत में वादी सं. 1 के सभी ट्रेडमार्क का अधिकृत उपयोगकर्ता है। वादी सं. 2, वास्तव में, वादी सं. 1 के ज्ञान, प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करके अपना व्यवसाय संचालित करता है, और कन्फेक्शनरी, च्यूइंग गम, बबल गम आदि के व्यवसाय में भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक के रूप में आंका गया है। वादी सं. 2 ने अपने उत्पादों के पोर्टफोलियो को तैयार-खाने, पैकेज्ड नमकीन स्नैक्स व्यवसाय में विविधतापूर्ण और विस्तारित किया है। भारत के लिए वादी सं. 2 की व्यावसायिक गतिविधियों और उत्पादों की श्रेणी को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ प्र. अभि.-5 के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं।

5. यह वाद इसके निदेशक और प्रमुख - विधिक, श्री हर्ष अरोड़ा के माध्यम से दायर किया गया है, जिन्हें दिनांक 7.12.2007 के बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसे प्र. अभि.-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

6. वाद में यह भी कहा गया है कि वादी सं. 1 अपनी प्राथमिक वेबसाइट www.perfettivanmelle.it सहित कई वेबसाइटों का मालिक है और उनका संचालन करता है, जो कंपनी और विभिन्न देशों में उपलब्ध उत्पादों की श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है और इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर और बाहर भारत सहित दुनिया भर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा सुलभ है। वादी की भारतीय वेबसाइट www.perfettivanmelle.in है। वादी कंपनियों, उनके इतिहास, व्यवसाय, ब्रांड और उत्पादों आदि के बारे में जानकारी, जैसा कि उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध है, पूर्व अभि. -7 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

7. वादपत्र में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में वादी सं. 1 ने बाजार में कई उत्पाद पेश किए हैं, जिनमें से सभी को भारत सहित पूरी दुनिया में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और संबंधित नाम/ट्रेडमार्क ने प्रसिद्ध ब्रांड का दर्जा प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2001 से 2011 के लिए वादी सं. 1 के वार्षिक विश्वव्यापी कारोबार के आंकड़े और विज्ञापन व्यय नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	**वार्षिक टर्नओवर आंकड़े (मिलियन अमरीकी डालर)**	**विज्ञापन खर्च (मिलियन अमरीकी डालर)**
2001	1168	153
2002	1,261	130
2003	1,488	161
2004	1,704	201
2005	1,791	209
2006	2,074	239
2007	2,513	222
2008	2,918	250

2009	2,905	250
2010	3,021	248
2011	3,380	276
2012 (अक्टूबर, 2012 तक)	2500	225

8. वादपत्र में आगे कहा गया है कि वादी सं. 1 ने वर्ष 2009 में रेडी-टू-ईट पैकेज्ड नमकीन स्नैक्स के लिए ट्रेडमार्क 'स्टॉप नॉट' अपनाया और अप्रैल 2011 में भारत में 'स्टॉप नॉट' ब्रांड स्नैक्स की रेंज और 2012 में 'स्टॉप नॉट डिस्क' लॉन्च की। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वादी के "स्टॉप नॉट" उत्पादों की श्रृंखला के व्यापार परिधान, पैकेजिंग और लेबल कलात्मक रूप से बनाए गए हैं, जिन पर ब्रांड को अलग पहचान देने के लिए विशिष्ट डिजाइन हैं। "स्टॉप नॉट" चिह्न के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति और वादी के सभी "स्टॉप नॉट" चिह्नों की स्थिति सामूहिक रूप से प्र. अभि.-9 के रूप में प्रदर्शित की गई है।

9. वादी के अधिवक्ता ने कहा कि मई 2012 में किसी समय वादी को पता चला कि प्रतिवादी "मिस्टर बजाज एनिमल किड्स" नाम से नमकीन स्नैक्स का निर्माण और विपणन कर रहे थे। अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादीगण द्वारा इस्तेमाल की गई 'एनिमल किड्स' पैकेजिंग, पैक लेआउट और समग्र डिजाइन वादी के "स्टॉप नॉट" पैक के समान है। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादीगण ने पूरी कलाकृति, लेआउट, रंग योजना, डिजाइन और उसमें मौजूद व्यक्तिगत विशेषताओं को वादी के पहले अपनाए गए और लॉन्च किए गए "स्टॉप नॉट" पैक से पूरी तरह से उठाया है।

10. अधिवक्ता ने आगे कहा कि वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 23.05.2012 को एक रोक और निषेध नोटिस भेजा था, जिसमें प्रतिवादीगण को “एनिमल किड्स” पैक/लेबल का उपयोग बंद करने के लिए कहा गया था, जो वादी के “स्टॉप नॉट पैक और ट्रेड ड्रेस की लगभग समान प्रतिलिपि थी। प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.06.2012 को एक अवज्ञाकारी उत्तर भेजा जिसमें आपत्तिजनक उत्पाद पैक का उपयोग छोड़ने से इनकार कर दिया गया। प्रतिवादीगण के उत्तर के साथ वादी द्वारा दिए गए रोक और निषेध नोटिस की प्रतियों को सामूहिक रूप से प्र.अभि.-11 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

11. मैंने वादीगण के अधिवक्ता को सुना है और वादपत्र तथा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है। वादपत्र में किए गए कथनों के आधार पर तथा विधिवत रूप से एक शपथपत्र द्वारा समर्थित, जिसका खंडन नहीं किया गया है, वादी यह स्थापित करने में सक्षम हैं कि वे ट्रेडमार्क अधिनियम की श्रेणी 30 में ट्रेडमार्क “स्टॉप नॉट” के पंजीकृत स्वामी हैं तथा “स्टॉप नॉट” ट्रेड ड्रेस के पूर्व उपयोगकर्ता हैं। वादी और प्रतिवादीगण के उत्पाद चित्रों को दर्शाने वाला तुलनात्मक चार्ट, जिसे प्र.अभि.-3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, यह प्रमाणित करता है कि प्रतिवादीगण ने वादी की "स्टॉप नॉट" ट्रेड ड्रेस से संपूर्ण कलाकृति, लेआउट, रंग योजना के साथ-साथ डिज़ाइन को हटा लिया है।

12. यद्यपि दोनों स्थानीय आयुक्तों द्वारा दायर रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रतिवादीगण के दिए गए पतों पर कोई भी पैकेट नहीं मिला जो वादी के व्यापार पोशाक के समान हो, तथापि, वादी ने अभिलेख में "स्टॉप नॉट" जैसे दिखने वाले उत्पाद पैक रखे हैं।

13. मेरे विचार में, प्रतिवादीगण द्वारा "एनिमल किड्स" पैकेजिंग का उपयोग, जो वादी के "स्टॉप नॉट" ट्रेड ड्रेस का एक बड़ा प्रतिरूप है, वादी की पैकेजिंग के विशिष्ट चरित्र को कमजोर कर सकता है और इससे वादी की साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की संभावना है। "स्टॉप नॉट" मार्क के पंजीकृत स्वामी और "स्टॉप नॉट" ट्रेड ड्रेस के पूर्व उपयोगकर्ता के रूप में वादी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, वाद को तदनुसार वाद की प्रार्थना (क) से (ग) के अनुसार डिक्री किया जाता है।

अं.आ. 542/2013

14. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाद डिक्रीत किया गया है, वर्तमान आवेदन का निपटान किया जाता है।

न्या. जी.एस. सिस्तानी

फ़रवरी 17, 2014
एसएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*